

# समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक:-381/पं0,दिनांक:-17.02.2021 के द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - 001- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - 0003 - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए कुल 29,35,000/- (उनतीस लाख पैतीस हजार) रूपये मात्र का आवंटन अवशेष रखा गया था।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खडगपुर के पत्रांक:-658 दिनांक:-20.02.2021 के द्वारा प्राप्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - 001- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - 0003 - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए कुल 13,45,251/- (तेरह लाख पैतालीस हजार दो सौ एकावन रूपये ) मात्र का आवंटन का मांग किया गया है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर के पत्रांक:-550 दिनांक:-02.03.2021 के द्वारा प्राप्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - 001- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - 0003 - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए कुल 15,85,900/- ( पन्द्रह लाख पच्चासी हजार नौ सौ रूपये) मात्र का आवंटन का मांग किया गया है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज के पत्रांक:-227 दिनांक:-26.02.2021 के द्वारा प्राप्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - 001- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - 0003 - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए कुल 3,05,154/- ( तीन लाख पाँच हजार एक सौ चौवन रूपये ) मात्र का आवंटन का मांग किया गया है।

पूर्व में जिला पंचायत सुरक्षित मद में रखी गयी राशि से अधोलिखित पदाधिकारियों को राशि उपावटित किया जाता है।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वेतन ( 0003.01.01 )	जी० या० भत्ता (003.01.03)	मकान भत्ता (0003.01.04)	चिकित्सा भत्ता (003.01.06)	परिवहन भत्ता (003.01.05)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला पंचायत राज सुरक्षित राशि	1300000	1095000	440000	70000	30000	2935000
2	प्र० वि० पदा०, खडगपुर	700000	250000	100000	0	0	1050000
3	प्र० वि० पदा०, सदर	400000	65900	0	20000	0	485900
4	प्र० वि० पदा०, असरगंज	200000	43656	10272	4000	0	257928
5	जिला पंचायत राज सुरक्षित अवशेष राशि	0	735444	329728	46000	30000	1141172

कुल उपावटित राशि मो०- 17,93,828/- (सत्तरह लाख तेरान्चें हजार आठ सौ अष्टाईस रूपये) मात्र।

- उपावटित राशि की निकासी पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- उपावटित राशि की निकासी करते समय कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर ईकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संचारण समुचित ढंग से हो सके।
- उपावटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- उपावटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि (2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- उपावटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमित भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाय। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाय यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी कराना सुनिश्चित करें।
- उपावटित राशि की निकासी के पश्चात व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 5वीं तिथि तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- उपावटित राशि की निकासी का मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या- 16-2515000010003 है।
- उपावटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय, तथा भुगतान के औचित्य ये पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय, तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यवितगत जिम्मेवारी होगी।

ह०/-


जिला पंचायत राज पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक...645/पं०, दिनांक...10/3/2021

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, खडगपुर/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

  
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,  
मुंगेर।